न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/60/2025	2025/191	26.03.2025	18.06.2025

1–प्रहलाद सिंह पुत्र रामकुवार सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई भोपालसिंह तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1–कमलेश देवी पत्नी सत्यवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्लाट नम्बर 153 करधनी योजना गोविन्दपुरा कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर (राजस्थान)
2–रामावतार पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई भोपालसिंह तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड (राजस्थान) हाल आबाद मकान न0 38 हनुमान नगर नजदीक एसवीपीएन स्कूल विष्णु विहार जयपुर (राजस्थान)
3–उप पंजियक नीमाराना तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड (राजस्थान)
4–राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री मनोज कुमार –वकील प्रार्थी

02. श्री कृष्ण कुमार यादव –वकील अप्रार्थी–1 व 2

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 138/2023 प्रहलाद बनाम कमलेश को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया है, कि प्रार्थी/वादी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, 138/2023 बअनुवान प्रहलाद बनाम कमलेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में पेश किया गया, जो न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को स्थान्तरित किया गया था। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 19.11.2019 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी ने अपनी राजनैतिक पहुँच का इस्तमाल करते हुऐ, हाल उपखण्ड अधिकारी से साजबाज हो गया है, और अप्रार्थी अक्सर पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में बैठी हुई देखी गयी है। वकील वादी द्वारा दिनाक 11.03.2025 की तारीख नियत थी, जिसमें वादी वकील के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 11.03.2025 को सुनवाई कर तुरन्त प्रभाव से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज कर दिया गया। वकील वादी ने नकल आदेश लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनाक 12.03.2025 को नकल लेने के लिए कार्यालय में गया तो स्टाफ वालो ने कहा की आपका नकल प्रार्थना पत्र गुम हो

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

गया है, दुसरा आवेदन पत्र पेश करो। जिस पर दिनाक 17.03.2025 को नकल हेतु पुनः आवेदन पत्र पेश किया गया जिस पर आज ही नकल देने के लिए स्टाफ ने आश्वासन दिया गया था। किन्तु आश्वासन देने के पश्चात भी कहा गया कि हमारे पास पत्रावली अभी नही आयी है। पत्रावली आते ही तुरन्त तैयार कर नकल उपलब्ध करा देगे। किन्तु वकील वादी के बार–बार चम्कर लगाने पर भी नकल नही दी गयी है। दिनाक 20.03.2025 को नकल आवेदन पत्र दिनाक 17.03.2025 की नकल चाही गयी, तो नकल नही दी गयी। और कहा की अभी समय नही है। उनवानी प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी–छोटी तारीख पेशीया मिन प्रार्थी/वादी को हरासमैन्ट करने हेतु नियत की जा रही है, तथा वहुत पुराने कई वर्षो से मुकदमे में न्यायालय में विचाराधीन चल रहे है। पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में अप्रार्थी का निरन्तर आना–जाना बना रहता है, तथा गांव में भी अप्रार्थी ने मौखिक रूप से कह दिया है, कि पीठासीन अधिकारी से अपनी पहूँच बना रखी है, पीठासीन अधिकारी शीध्र ही प्रकरण को खारिज कर देगी। पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दीगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कोरी कल्पनाओ के आधार पर अंकित किये गये है, अप्रार्थीया सख्या 1 विधवा महिला है, अप्रार्थीया के पति भारतीय सेना में थे जो वर्ष 2003 में देश के लिए शहीद हो गये थे। अप्रार्थीया संख्या 1 के द्वारा राजस्व वाद में वर्णित आराजी जरिये रजिस्ट्रड विकय पत्र से खरीद की गयी है। अप्रार्थीया अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रही है। अप्रार्थीया एक ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला है, जिसकी कोई राजनैतिक पहुच नही है। प्रार्थी जो कि अप्रार्थीया का सगा भाई है, जो अप्रार्थीया से ईष्या व रंजिश रखता है। जो अप्रार्थीया की भूमि पर अपनी भूमि की आड में स्थगन आदेश प्राप्त कर अप्रार्थीया संख्या 1 को अनावश्यक परेशान कर रहा है। तथा राशि की मांग कर रहा है। यहॉ यह भी स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रार्थी व उसके पुत्र जो कि भू माफिया गिरोह के लोग है, जिनके द्वारा अप्रार्थीया संख्या 1 को उसकी भूमि पर उपयोग उपभोग नही करने देने के आश्य से उक्त स्थगन आदेश 6 साल से लेकर रखा है, तथा उक्त स्थगन आदेश के विरूद्व किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही नही हो इस लिए बार–बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को लम्बित रखकर स्थगन आदेश को यथावत रखना चाहता है, इस प्रकार प्रार्थी की भावना साफ दर्शित है। न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद में अप्रार्थीया की पैरवी अधिवक्ता द्वारा की जा रही है, अप्रार्थीया संख्या 1 केवल मात्र 2–3 बार ही न्यायालय में उपस्थित हुई है। तथा प्रार्थी के उक्त अभिवचनो से साफ दर्शित है, कि वह प्रकरण को लम्बित रखना चाहता है तथा प्रकरण में किसी प्रकार से कोई निस्तारण नही होने देना चाह रहा है। प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में तहत अदालत से बिन्दूवार जवाब प्राप्त किया गया। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ने जर्ये पत्राक 171 दिनाक 03.04.2025, 207 दिनाक 12.05.2025 के द्वारा प्रार्थना में वर्णित बिन्दूओ को नकारते हुऐ बिन्दूवार जवाब तैयार कर पेश किया गया है, जो शामिल मिशल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थी/वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, 138/2023 बअनुवान प्रहलाद बनाम कमलेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में पेश किया गया, जो न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को स्थान्तरित किया गया था। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 19.11.2019 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। वकील वादी द्वारा दिनाक 11.03.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 11.03.2025 को सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज कर दिया गया। अप्रार्थीया संख्या 1 का कथन है, कि उसकी भूमि पर उपयोग उपभोग नही करने देने के आश्य से उक्त स्थगन आदेश 6 साल से लेकर रखा है, तथा उक्त स्थगन आदेश के विरूद्व किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही नही हो इस लिए बार–बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को लम्बित रखकर स्थगन आदेश को यथावत रखना चाहता है। साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही विधिवत कार्यवाही पर भी आक्षेप किया गया है, प्रकरण में स्पष्ट है, कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद का शिध निस्तारण किये जाने हेतु ही छोटी–तारीख पेशीयॉ नियत की जा रही है इसमें पीठासीन की कोई दुरभावना नही है।

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर-तिजारा (राज०)

विचाराधीन राजस्व प्रकरण मे तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)